

A

स्पाड पास्ट



सत्यमेव जयते

SPER

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

1. File No. BST/36/2017/STGMP/DEOTH/RU-III
2. File No. KAU/08/2017/STGMP/SEHRMT/RU-III

दिनांक: 06-06-2019

सिटिंग नोटिस

विषय: 1. कथित रूप से आपराधिक षडयंत्र कर आवेदक की पेंशन रोके जाने बाबत-श्री बी.एस.ठाकुर, सेवा निवृत्त सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, वित्त विभाग म.प्र. शासन, म.नं. 613, लालमाटी सिद्धबाबा रोड, हनुमान होटल, चौक के पास, जबलपुर (मध्य प्रदेश) का दिनांक 29.09.2017 का अभ्यावेदन।
2. कु. अर्चना उईके, उप संचालक निधि संपरीक्षा के वेतन भत्तों के भुगतान के वित्त मंत्रालय म.प्र. शासन भोपाल के आदेश दिनांक 23/04/2018 के निरंतर अवेहलना बाबत - कुमारी अर्चना उईके मकान न. 46, फ्रेण्डस कालोनी, खजरी रोड, जिला छिंदवाड़ा, (मध्य प्रदेश) का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। (अभ्यावेदन की प्रतिलिपि संलग्न है)

2. सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 02-07-2019 को 12.30 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

OIC 4762-64
7/6/19
जारी

(डॉ. ललित कृष्णा)
निदेशक 6/6/2019

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्य प्रदेश)

प्रतिलिपि:

1. श्री बी.एस.ठाकुर, म.नं. 613, लालमाटी सिद्धबाबा रोड, हनुमान होटल, चौक के पास, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
2. कुमारी अर्चना उईके मकान न. 46, फ्रेण्डस कालोनी, खजरी रोड, जिला छिंदवाड़ा, (मध्य प्रदेश)